

प्रेषक,

सचिव  
प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,  
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध  
एवं नवस्थापित होने वाली  
निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

संख्या- प्राशिप/परिषद/2019/1013

संखनक/दिनांक- 09/05/2019

विषय- सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि परिषद से पूर्व से सम्बद्ध एवं नवस्थापित होने वाली संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को परिषद में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित की गयी है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10-5-2019 तक प्रत्येक दशा में ए0आई0सी0टी0ई0 एवं पी0सी0आई0 का अनुमोदन एवं अनुमोदन विस्तार परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पर विचार किया जा सके।

भवदीय,

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पुनरांक- प्राशिप/परिषद/2019/अन-15

तददिनांक- 09/05/2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र।

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

**-कार्यालय द्वाारा-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु केंद्रीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को पृष्ठ-3 में विस्तार इन कार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकाशन करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विद्यार्थी-विशाल एवं निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

“गिरी क्षेत्र में स्थापित विन्डोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा उन्हें कक्षाएं अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुक्त अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विद्यार्थी-विशाल किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदात अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या/सम्बद्धता द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईई /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1963	कार्मेली एडु केंद्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	विन्डोमा इन कार्मेली	४०	४०

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था पीसीआईई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, संसदीय विनियमवली-2018 तथा अन्य विहित विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन सौ रुपए (₹) 30,000/- प्रतिवर्ष, जो कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लाख दो सौ पाठ्यक्रमों (दो सौ कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की दरोंक प्राय/प्राय से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राय/प्रायों में शुल्क के सम्बद्ध में आय-व्यय पर बरतन द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामलोंमें जवाबी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

*(Handwritten signature)*

जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्विचार किया जाता है, तो नीचे की शर्तों का पालन होना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था को (अथवा) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमनकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रदेश महिला परिषद द्वारा आयोजित कार्य को ही प्रवेश दिया जाएगा। शेषों को शिक्षा सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ संस्था को समक-समक पर निर्भर आकाशवाणी के अनुसूचित विभाग एवं सम्बद्धता सुझाव प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को एडवाइजरी/टीचर्स/टीचरों/टीचरों से बनानी पर हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विधियों/अधिसूचनाओं/समाचारिका/निदेशों एवं निर्देश, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, अनुसूचित प्रदेश महिला परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में विवेक बतानी होगी।
- ✓ विनियम हेतु कार्यवाही परामर्श करने वाली समिति, नई दिल्ली से अनुसूचित प्राप्त करने में उत्तरदायी होगी। ही इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग को सूचित करके ही प्रवेश दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसूचित प्रदेश महिला परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्राप्त को कोई भी शर्त नहीं लगाया जाएगा है तथा साथ ही के संबंध में नए आवेदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा करनी आवश्यक है जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी होगी।
- ✓ विनियम हेतु कार्यवाही परामर्श करने वाली समिति को अनुसूचित प्रदेश महिला परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश एवं के लिए आयोजित प्रदेश महिला हेतु आयोजित कार्य होने के पूर्व एडवाइजरी से अनुसूचित प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को आवश्यक करना होगा अतः प्रवेश की (आयोजित एवं शासन से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तिकाएं, स्टाफ, सार्वजनिक, परामर्श, प्राप्त किया जाने वाला सुझाव, आकाशवाणी सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु परामर्श प्राप्त करना आवश्यक करने की तलाश करना चाहिए जो संस्था में उत्तर प्रदेश शासन परामर्श सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को पुनर्विचार हो तो कि संस्था में प्राथमिक/सहायक परामर्श को बनाये जाने हेतु निर्देश समिति के संस्था परामर्श करने एवं अधिसूचना, सुनिश्चित, कार्यवाही, परामर्श आदि के तहत संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्श के संस्थान में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था परामर्श का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तर प्रदेश संस्था की सम्बद्धता प्राप्त करने के अनुसूचित की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले अथवा शर्तों का पालन करने वाले की स्थिति में निर्देशानुसार अनुसूचित कार्यवाही की जाएगी।

(CC) आदर्श शिक्षा  
परिषद

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1873-3141

उद् दिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक-प्रशासक/निदेशक, जयवीर सिंह राजपूत सेवा, कोलकाता जॉब कार्नेली, राजपूताना, मुम्बई।

(CC) आदर्श शिक्षा  
परिषद



## कार्यालय,

## सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

## उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

## :-कार्यालय स्तर:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1953-DHARAMVIR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY, THAKURDWARA, MORADABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	66	66

## सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। विस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु विस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो विस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3090 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टायर किया जाता है तथा टायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैमिंग रीकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DHARAMVIR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY,  
THAKURDWARA, MORADABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव